16 **न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)**

प्र0 क्र0 ....III/निगरानी/उमरिया/भू–राजस्व/2017/3265

शारदा प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री रामदास तिवारी, निवासी उमरिया, वार्ड नं. 13, माल गोदाम रोड, सिंगा टोला, उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.)

—— निगरानीकर्ता

बनाम

1. करिया बेगा
2. छोटे बेगा
   पुत्रगण मुराली बेगा साकिन चंदवार, जिला उमरिया
3. सरजू पिता डोमारी बैगा सा0 चंदवार जिला उमरिया

– प्रतिनिगरानीकर्तागण

प्रार्थना पत्र निगरानी धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता विरुद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरिया, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया के प्रकरण क्र. 106/अ–12/2016–17 आदेश दिनांक 20.06.2017

श्रीमान्

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, विवादित भूमि पर धारा 129 में दिये गये नियमों के विपरीत आवेदक की आपत्ति को विधिवत् स्वीकार न किये जाने के कारण सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 207/2 रकवा 2.023 हैक्टेयर भूमि ग्राम पोनिया के भूमि स्वामी आवेदक के पिता रामदास पुत्र स्वर्गीय दयाराम के द्वारा भू–राजस्व संहिता की धारा 178 (क) के तहत आपसी सहमति से आवेदक के पिता एवं अन्य भाईयों की सहमति से दिनांक 17.05.2017 को बंटवारा किया गया ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / उमरिया / भू.रा / 2017 / 3265

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरिया तहसील बांधवगढ जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 106 / अ—12 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट राजस्व निरीक्षक द्वारा धारा 129 के प्रावधानों के तहत सीमांकन की कार्यवाही की गई और आवेदक को सूचना भी दी गई और वह उपस्थित भी हुये हैं । उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दल गठित कर सीमांकन की मांग की गई जो राजस्व निरीक्षक द्वारा आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया गया है। 3—विवादित भूमि सर्वे कमांक 207 / 2 रकवा 2.023 है0 भूमि ग्राम पोनिया के भूमि स्वामी आवेदक के पिता रामदास पुत्र स्व0 दयाराम के द्वारा भू—राजस्व संहिता की धारा 178 "क" के तहत आपसी सहमति से आवेदक के पिता एवं अन्य भाईयों की सहमति से दिनांक 17.5.17 को बटवारा कर दिया गया था। सर्वे कमांक 207 / 2 रकवा 2.023 है0 भूमि से लगे अन्य सर्वे नम्बर 207 / 3, 205, 197 भी है।	

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अधिवक्ता मुख्य तर्क यह है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरिया तहसील बांधवगढ जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 106/अ—12/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.17 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बांधवगढ को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सीमांकन करने हेतु एक दल गठित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सीमांकन की कार्यवाही करायें।

सदस्य